रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2019/ श्रावण 1, 1941
No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2019/SHRAVANA 1, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2019

फा.सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.044.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 199, धारा 200 और धारा 201 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) बोर्ड को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पांच लाख रुपए की वार्षिक फीस का संदाय करेगी:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण प्रदान किया जाता है, वार्षिक फीस संदेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, संहिता के अधीन यथा-अनुज्ञेय, कर सकेगा, किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब को तब तक बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लगेगा, जब तक उसका संदाय नहीं कर दिया जाता है ।

दृष्टांत

(क) जहां किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ दस लाख रुपए की आवेदन फीस की प्राप्ति के पश्चात् तारीख 1 दिसम्बर, 2016 को रजिस्ट्रीकृत की गई है वहां वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए किसी अतिरिक्त फीस का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं है । वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पांच लाख रुपए की वार्षिक फीस तारीख

1 अप्रैल, 2017 को देय हो जाती है और उसका संदाय 15 अप्रैल, 2017 तक करना होगा । इसी प्रकार, वह 1 अप्रैल, 2018 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2018 तक करना होगा, 1 अप्रैल, 2019 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2019 तक करना होगा, 1 अप्रैल, 2020 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2020 तक करना होगा और 1 अप्रैल, 2021 को देय हो जाती है, जिसका संदाय 15 अप्रैल, 2021 तक करना होगा । इसके पश्चात्, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी पांच लाख रुपए की आवेदन फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी । यदि नवीकरण अनुदत्त किया जाता है तो वर्ष 2021-22 के लिए कोई वार्षिक फीस नहीं होगी ।

(ख) जहां वार्षिक फीस का संदाय 20 अप्रैल, 2017 को किया जाता है वहां पांच दिन के विलंब के लिए बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज संदेय होगा ।"

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./145/19]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 420, तारीख 2**2** नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई.**/** 2016-17**/**जी.एन.**/**आर.ई.जी.00**2**, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें बाद में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 381, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई.**/** 2018-19**/**जी.एन.**/**आर.ई.जी.33, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2019

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019

F.No. IBBI/2019-20/GN/REG044.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 199, 200, and 201 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, in regulation 5, in sub-regulation (2), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) pay an annual fee of five lakh rupees to the Board, within fifteen days from the date of commencement of the financial year:

Provided that no annual fee shall be payable in the financial year in which an insolvency professional agency is granted registration or renewal, as the case may be:

Provided further that without prejudice to any other action which the Board may take as permissible under the Code, any delay in payment of fee by an insolvency professional agency shall attract simple interest at the rate of twelve percent per annum until paid.

Illustration

(a) Where an insolvency professional agency is registered on 1st December, 2016 upon receipt of an application fee of ten lakh rupees along with the application for registration, no further fee is required to be paid for the financial year 2016-17. The annual fee of five lakh rupees becomes due on 1st April, 2017 and shall be paid by 15th April, 2017 for the financial year 2017-18. It becomes similarly due on 1st April, 2018 to be paid by 15th April, 2018, on 1st April, 2019 to be paid by 15th April, 2019, on 1st April, 2020 to be paid by

15th April, 2020 and on 1st April, 2021 to be paid by 15th April, 2021. Thereafter, the insolvency professional agency may apply for renewal of registration along with an application fee of five lakh rupees. If renewal is granted, there will be no annual fee for 2021-22.

(b) Where the annual fee is paid on 20th April, 2017, interest at the rate of twelve percent per annum shall be paid for the delay of five days.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./145/19]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG002 on 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 420 dated 21st November, 2016 and were subsequently amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG33 dated 11th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 381 dated 11th October, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.24 22:10:37 +05'30'